Indian J. Soc. & Pol. 11 (02):79-82:2024 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
February-June 2023 (31 July 2024) **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

महिला सशक्तिकरण : भारत में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में

अनुराग मिश्र[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

महिला सशक्तिकरण वर्तमान सदी का ज्वलंत मुद्दा है। आज यह आवश्यक हो गया है कि समाज में महिला शक्ति को पहचाना जाय और उसका सदुपयोग राष्ट्र–निर्माण में किया जाय। वैज्ञानिक व तकनीकी क्रान्ति के साथ ही समाज में परिवर्तन का दौर चलने से नारी के कार्य कलाप, रहन–सहन, सोच आदि में आमूल परिवर्तन आया है। आज स्त्री केवल 'अबला' नहीं है, चरणों की दासी नहीं बल्कि शक्ति सम्पन्न है। प्राकृतिक रूप से नारी पुरूष से अधिक सशक्त, अधिकार सम्पन्न और वैभवयुक्त है। पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री समाज की शक्ति को सदैव दबाने का प्रयास किया, जबकि स्त्री पुरूष की अपेक्षा अधिक सहनशील, गतिशील व कर्मशील हैं। आशा रानी व्होरा ने लिखा है– "वैज्ञानिक अध्ययनों से अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि स्त्री मानसिक रूप से ही नहीं शारीरिक रूप से भी पुरूषों से अधिक सशक्त है, न होती, तो माँ कैसे बनती?'

KEYWORDS: *लिंग, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण*

महिला सशक्तिकरण वर्तमान सदी का ज्वलंत मुद्दा है। आज यह आवश्यक हो गया है कि समाज में महिला शक्ति को पहचाना जाय और उसका सदुपयोग राष्ट्र–निर्माण में किया जाय। वैज्ञानिक व तकनीकी क्रान्ति के साथ ही समाज में परिवर्तन का दौर चलने से नारी के कार्य कलाप, रहन–सहन, सोच आदि में आमूल परिवर्तन आया है। आज स्त्री केवल 'अबला' नहीं है, चरणों की दासी नहीं बल्कि शक्ति सम्पन्न है। प्राकृतिक रूप से नारी पुरूष से अधिक सशक्त, अधिकार सम्पन्न और वैभवयुक्त है। पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री समाज की शक्ति को सदैव दबाने का प्रयास किया, जबकि स्त्री पुरूष की अपेक्षा अधिक सहनशील, गतिशील व कर्मशील हैं। आशा रानी व्होरा ने लिखा है– "वैज्ञानिक अध्ययनों से अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि स्त्री मानसिक रूप से ही नहीं शारीरिक रूप से भी पुरूषों से अधिक सशक्त है, न होती, तो माँ कैसे बनती?"

डॉ0 रूथपिक ने अपने प्रयोग से यह स्पष्ट किया है कि "नारी सशक्त इसलिए है कि उसे प्रकृति प्रदत्त तीन तत्व प्राप्त हैं– (1) प्राण रक्षक एक्सक्रोमोसेम, (2) रक्त में होमोग्लोबीन की अधिकता, (3) स्त्री–हारमोन एस्ट्रोजन, ये तीनों तत्व नारी शरीर में ही निहित हैं। इनके सशक्त होने का रहस्य यही है। पहले तत्व की प्रधानता से लड़कियों को जन्म से पोलियो, वर्णांधता और वंशागत रोग नहीं होते। यह तत्व स्त्री की गुप्त शक्ति का प्रमुख स्रोत है, जो उसे सुरक्षित रखता है। दूसरे तत्व का काम मनुष्य की कीटाणुओं से रक्षा कर शरीर की रोग–प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। इसी वजह से स्त्रियों में बीमारियों से टक्कर लेने की क्षमता पुरूषों से अधिक होती है। तीसरा मुख्य तत्व एस्ट्रोजन 15–16 की उम्र से लेकर 40–50 की उम्र तक उन्हें, गर्भधारण करने के योग्य बनाता है और वह इस दौरान उनकी शारीरिक क्षमता बनाए रखता है। यह हारमोन स्त्रियों की प्रजनन की पीड़ा सहने योग्य बनाता है और प्रसवोपरान्त उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में मदद करता है।"[1]

यदि नारी पुरूषों की तुलना में श्रेष्ठ एवं सशक्त है तो फिर उसके सशक्तिकरण का सवाल क्यों उठता है? क्या समाज में उसकी शक्ति का ह्रास हो गया है या हो रहा है? अथवा पितृसत्तात्मक समाज में नारियों की दशा दयनीय होती जा रही है? क्या स्त्री बनाम पुरूष का संघर्ष चल रहा है? इन सभी प्रश्नों पर विचार के पूर्व महिला सशक्तिकरण है क्या? उसका स्वरूप क्या है? अथवा क्या हैं महिला सशक्तिकरण की कसौटियाँ? इस पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा।

अर्थ एवं स्वरूप

जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या नारी भयमुक्त होकर, सम्मान खोए बगैर, जिस लक्ष्य को पाना चाहती है उसका प्रयास कर सकती है और अपने गंतव्य तक पहुँच सकती है। उसे संचार का हक हो, सुरक्षा मिले, आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, उसकी इच्छा–अनिच्छा एवं सुझावों का परिवार, समाज व देश के स्तर पर सम्मान हो, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, धन–सम्पत्ति में हक मिले, रोज–रोज के एक–रस, उबाऊ तथा कमर–तोड़ कामों से राहत मिले, देश की प्रगति तथा देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर हो। संक्षेप में यह कहें कि समाजरूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया नारी है, तो उसे भी उतना ही सबल और सुयोग्य होना आवश्यक है, जितना पुरूष है। यही सबलता और सुयोग्यता महिला सशक्तिकरण की असली पहचान है।[2]

1: Corresponding Author

महिला सशक्तिकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री–पुरूष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत अशक्त लोगों को अपने सृदृढ़ीकरण (सशक्तिकरण) का बेहतर अवसर मिल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अवसर मिलने पर महिलाओं के आत्म विश्वास में वृद्धि होती और उनमें निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरूष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बने और पौरूष की परम्परागत सोच को बदलने पर बल दें।

वस्तुतः सशक्तिकरण अधिकार प्राप्त करने, आत्म विकास करने तथा स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह चेतना का वह मार्ग है जो वृहत्तर भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करता है साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों के नियंत्रण और परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इस संदर्भ में महिला और सशक्तिकरण की बात करें तो यह स्पष्ट है कि केवल पुरूष मानसिकता अथवा पितृसत्तात्मक समाज की मान्यताओं में परिवर्तन नहीं करना है बल्कि महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से संपुष्ट करना है। मृदुला गर्ग ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि किसी कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार का मिलना तभी सार्थक है जब उसे सामाजिक स्वीकृति भी मिले। आपसी सम्बन्धों में और परिवार के भीतर होने वाले अन्याय और उत्पीड़न के लिए यह और भी जरूरी है वरना अधिकार स्वयं शोषण का माध्यम बन जाता है। ... स्थिति यह है कि "नारी के पास अधिकार तो है पर निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है। आर्थिक सक्षमता के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आ पाता क्योंकि नारी स्वयं को निर्णायक शक्ति नहीं मान पाती। बहुत बार लड़की के शिक्षित और कमाऊ होने पर खुद उसके माँ–बाप द्वारा उसका आर्थिक शोषण होता है।"[3]

एक अन्य अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है ये निम्न हैं–

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना आवश्यक है।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमरतोड़ कामों से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्म निर्भरता और उत्पादन क्षमता।
4. देशाटन की सुविधा तथा गतिशील वाहनों पर काबू।
5. निर्णय का अधिकार।
6. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरूषों के साथ बराबरी का हक।
7. ऐसी शिक्षा जो औरत को उपर्युक्त बातों के लिए तैयार करे।[4]

इस तरह महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ किया जाय अर्थात् स्त्री–पुरूष समानता पर बल दिया जाय और स्त्रियों को समाज में दोयम दर्जा न प्रदान किया जाय, आर्थिक दृष्टि से उन्हें संपुष्ट बनाया जाय अर्थात् उनकी आर्थिक निर्भरता किसी पर न रहे और राजनीतिक दृष्टि से निर्णय–निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो।

भारत में महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण

भारत में महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार है– राजनीतिक सबलीकरण। राजनीतिक सबलीकरण का अर्थ है– महिलाओं के पास निर्णय लेने और निर्णय प्रभावित करने की क्षमता का होना। सबलीकरण से महिलाओं के अन्दर हस्तक्षेप करने, रणनीति निर्धारित करने और कदम उठाने की क्षमता आ जाती है। प्रश्न उठता है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्या भारत में महिलाओं तो उसे स्वतंत्रता के समय से ही प्राप्त है परन्तु व्यवहार में वह शून्य है। नारीवाद चिन्तकों की चिंता यह है कि 'राज्य जो कि पुरूष' वर्चस्व में है, महिलाओं को लोकतांत्रिक स्थान और मानवाधिकारों की गारंटी देने में विफल रहता है। महिलाओं की समस्याओं के बारे में लोग मौन हो जाते है क्योंकि प्रतिनिधि संस्थाओं में अल्पमत होने के कारण महिलाएँ निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती हैं, इसलिए महिलाओं की प्रतिनिधि संस्थाओं में दावेदारी के लिए उनका राजनीतिक सबलीकरण अत्यन्त आवश्यक है। आरक्षण इसके लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है।

यदि इतिहास में नजर डालें तो भारत में महिलाओं के वोट डालने के संघर्ष की शुरूआत राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से ही शुरू हो गयी थी। श्रीमती एनीबेसेण्ट और सरोजनी नायडू के प्रयास से मद्रास विधान परिषद ने 1920 में महिलाओं को मताधिकार दिया; 1921 में मुंबई विधान परिषद ने महिला मताधिकार लागू किया। 1926 में मद्रास विधान परिषद के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय और हेमेन एंजेलों ने भी चुनाव लड़ा। 1929 तक सभी प्रांतीय विधान परिषदों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया।

मताधिकार के बाद महिलाओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रतिनिधि संस्थाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सीटों के आरक्षण का मामला उठाया। 1929 वें लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए 'आल इण्डिया वूमेंस कांफ्रेंस' का पुरजोर आग्रह था कि सम्मेलन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, परिणामस्वरूप श्रीमती राधाबाई सुभरयान और बेगम शाहनवाज को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रान्तीय विधायिकाओं में चार सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी।

आजादी के बाद भारत में जिस समाजवादी रूख वाले संविधान को अपनाया उसमें स्त्री और पुरूष दोनों को समान राजनीतिक अधिकार दिये गये और साथ ही जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान और शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना भारत में सभी को मताधिकार प्रदान किया गया। इस तरह महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को संविधान में स्वीकार किया गया और राष्ट्र

निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता को महसूस किया गया।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में आरक्षण के प्रावधान की चर्चा पहली बार 1974 में की गयी। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत, जिला परिषदों तथा स्थानीय नगरपालिका निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षित करने पर बल दिया गया। 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में यह सिफारिश की गई कि जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी पुरूषों के बराबर न पहुँच जाए तब तक राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें। सम्यक् विचारोपरान्त 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसमें महिलाओं के लिए कम से कम तिहाई सीटें आरक्षित की गयीं। यह भी प्रावधान हुआ कि स्थानीय शासन में इकाई अध्यक्षों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाए। यह संविधान संशोधन महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

संसद में महिला आरक्षण और सशक्तिकरण

बढ़ते शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान के प्रसार से महिलाओं में अपने समूह के अधिकारों के प्रति चेतना का विकास निरन्तर हो रहा है। इसलिए वे केन्द्रीय व प्रान्तीय स्तर पर कार्यरत विधायिका में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को संघर्षरत हैं। उनका आरोप है कि वर्षों से कार्य कर रही संसद (जन प्रतिनिधि संस्था) पुरूषवादी वर्चस्व का अखाड़ा है। उसे ध्वस्त कर सही मायने में संसद का लोकतंत्रीकरण करना है। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत करने और उस पर अमल करने के लिए वे बराबर प्रयासरत हैं। उनका नारा है– 'माँग नहीं अधिकार है, संविधान के अनुसार है'।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14 कानून के समक्ष समानता की बात करती है। यह नागरिकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है लेकिन साथ ही उचित सीमाओं के भीतर, नागरिकों के विभिन्न समूहों और वर्गों में वर्गीकृत करने की छूट देता है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार व पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) में यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा नहीं होगी (अर्थात् स्त्रियों के सम्बन्ध में समता और अधिकार से सम्बन्धित शर्तों को और भी बढ़ाया जासकता है।) अनु0 16(2) में कहा गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न ही विभेद किया जाएगा। इसी तरह की समानता नीति–निदेशक सिद्धान्तों में भी देखी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सब कुछ समान होने की स्थिति में महिलाओं को सार्वजनिक कार्यो। की कुछ श्रेणियों के लिए प्राथमिकता की जाएगी। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए ठोस मामला बनता है।

महिला आरक्षण विधेयक (1996), जो कि संसद के निचले सदन में पहली बार रखा गया जिसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से विधायिका में 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था, जिससे विधायिका के कामकाज और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। 1996 से अब तक संसद में कई बार यह विधेयक प्रस्तुत हुआ किन्तु इस पर 2023 में जाकर सहमति बन पायी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023

128 वें संविधान संशोधन विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023 कहा गया, द्वारा संविधान में 330A जोड़कर अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें चक्रानुक्रम के आधार पर महिलाओं के लिये आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही संविधान में 332A व 239AA जोड़कर प्रत्येक राज्य विधान सभाओं व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों में भी चक्रानुक्रम के आधार पर एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।

यद्यपि अधिनियम तो संसद से पारित हो गया किन्तु महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिये अभी इंतजार करना होगा क्योंकि उक्त आरक्षण इस विधेयक के पारित होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के पश्चात् प्रभावी होगा। मौजूदा विधेयक में राज्य सभा व राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर भी महिला सशक्तीकरण में उक्त विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। संयुक्त राष्ट्र महिला डेटा के अनुसार रवांडा में 61 प्रतिशत, क्यूबा में 53 प्रतिशत व निकारागुआ में 52 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है भारत में महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 15.2 प्रतिशत है जो कि पड़ोसी बंगलादेश 21 प्रतिशत व पाकिस्तान 20 प्रतिशत से भी कम है।[5] अतः 'यत्र नारयास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु हमें इस दिशा में और मजबूती से कार्य करने की जरूरत है तथा 'अर्धनारीश्वर' की संकल्पना को व्यावहारिक धरातल पर साकार करते हुये सामाजिक न्याय की स्थापना करना होगा।

REFERENCES

वोहरा, आशारानी (2004) *'स्त्री सरोकार',* दिल्ली, आर्य प्रकाशन मण्डल पृ0–27।

योजना, अगस्त–2001, पृ0–50।

आशा कौशिक– 'नारी सशक्तिकरण', पोइन्टर पब्लिशर, जयपुर–2004, पृ0–97।

योजना– वही, पृ0–50।

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/women-s-reservation-bill-2023